

छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर

// अधिसूचना //

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक /0 जनवरी, 2025

क्रमांक एफ 20-72/2011/11/6 :: छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 (क्रमांक 23 सन् 2011) की धारा 3, 4, 5 एवं 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद् द्वारा, इस विभाग के समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 16.12.2011 में निम्नलिखित अग्रतर संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अनुसूची में,

1. शीर्ष "सहायक पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थाएँ के स्तर पर प्राप्त आवेदनों की निराकरण प्रक्रिया" के अंतर्गत सारणी के,

(1) सरल क्रमांक 1 के कॉलम 3 में शब्द-समूह "छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 (सेशो. 1998) की धारा 7 के अधीन समिति, नवयुवक मंडल, महिला मंडल, महिला स्व-सहायता समूह के पंजीयन प्रस्ताव पर कार्यवाही।" के स्थान पर शब्द-समूह "छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 की धारा 7 के अधीन समिति, नवयुवक मंडल, महिला मंडल, महिला स्व-सहायता समूह के पंजीयन पूर्ण आवेदन प्राप्त होने पर पंजीयन" एवं कॉलम 4 में शब्द-समूह "30 कार्य दिवस" के स्थान पर शब्द-समूह "15 कार्य दिवस" प्रतिस्थापित किया जाये।

एवं

(2) सरल क्रमांक 2 के कॉलम 4 में शब्द-समूह "भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 की धारा 59 के अधीन भागीदारी फर्मों के पंजीयन प्रस्ताव पर कार्यवाही" के स्थान पर शब्द-समूह "भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 की धारा 59 के अधीन भागीदारी फर्मों के पंजीयन पूर्ण आवेदन प्राप्त होने पर पंजीयन" एवं कॉलम 4 में शब्द-समूह "15 कार्य दिवस" के स्थान पर शब्द-समूह "07 कार्य दिवस" प्रतिस्थापित किया जाये।

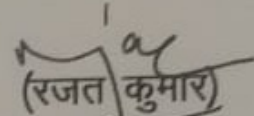
2. शीर्ष "पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थाएँ स्तर पर प्राप्त आवेदनों की निराकरण प्रक्रिया" के अंतर्गत सारणी के,

1. सरल क्रमांक 1 के कॉलम 3 में शब्द-समूह "छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 (सेशो. 1998) की धारा 7 के अधीन समिति, नवयुवक मंडल, महिला मंडल, महिला स्व-सहायता समूह के पंजीयन प्रस्ताव पर कार्यवाही।" के स्थान पर शब्द-समूह "छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 की धारा 7 के अधीन समिति, नवयुवक मंडल, महिला मंडल, महिला स्व-सहायता समूह के पंजीयन पूर्ण आवेदन प्राप्त होने पर पंजीयन" एवं कॉलम 4 में शब्द-समूह "30 कार्य दिवस" के स्थान पर "15 कार्य दिवस" प्रतिस्थापित किया जाये।

2.

सरल क्रमांक 2 के कॉलम 4 में शब्द-समूह "भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 की धारा 59 के अधीन भागीदारी फर्मों के पंजीयन प्रस्ताव पर कार्यवाही" के स्थान पर शब्द-समूह "भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 की धारा 59 के अधीन भागीदारी फर्मों के पंजीयन पूर्ण आवेदन प्राप्त होने पर पंजीयन" एवं कॉलम 4 में शब्द-समूह "15 कार्य दिवस" के स्थान पर शब्द-समूह "07 कार्य दिवस" प्रतिस्थापित किया जाये।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(रजत कुमार)
सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन,
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग